राजस्थान सरकार

निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्र0सं0 62/2015/रे0वाद/ निर्णय दिनांक :– 15.07.2019

अनवान

1. चांदमल पिता हस्तीमल जी जाति महाजन आयु बालिग निवासी मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

-----वादी

बनाम

1. बाबुलाल पिता हस्तीमल जी जाति महाजन आयु बालिग निवासी मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. श्री मनोहरलाल पिता हस्तीमल जी जाति महाजन आयु बालिग निवासी मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. श्री केशरीमल पिता डालचंद जी जाति महाजन आयु बालिग निवासी मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. श्री महावीर कुमार पिता जीतमल जी जाति महाजन आयु बालिग निवासी मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. श्रीमति चंदा पिता जीतमल जी जाति महाजन आयु बालिग निवासी मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. श्रीमति सुरेखा पिता जीतमल जी जाति महाजन आयु बालिग निवासी मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
7. श्रीमति सायरी पिता जीतमल जी जाति महाजन आयु बालिग निवासी मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
8. श्री प्यारालाल पिता हीरालाल जी जाति महाजन आयु बालिग निवासी मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
9. शेषमल पिता हीरालाल जी जाति महाजन आयु बालिग निवासी मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
10. पुखराज पिता हीरालाल जी जाति महाजन आयु बालिग निवासी मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
11. सुरेशकुमार पिता हीरालाल जी जाति महाजन आयु बालिग निवासी मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
12. श्री रतनलाल पिता हीरालाल जी जाति महाजन आयु बालिग निवासी मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राज.काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– 1. श्री प्रदीपकुमार वकील वादी

2. श्री जगदीश मेवाडा वकील प्रतिवादी

वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ की वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता स्व. श्री हस्तीमल पिता छोगालाल एवं डालचंद हीरालाल पिता बख्तावरमल महाजन की सामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषी भूमि ग्राम मदारिया पटवार हल्का मदारिया तहसील देवगढ़ में स्थित हैं जिसके आराजी नम्बर 80,82,267,524,526,527,531,532,533,536,537,538,539,540,541,542,543,545,546,547,548,549,551,556,557,560,740,741,742,900,901,453,550 कुल किता 34 रकबा 29.05 बीद्या भूमि हैं। उक्त भूमि का विभाजन होने से जरिये ना.क.सं. 379 अलग–अलग खातेदारी हो राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई। विभाजन से आराजी नम्बर 82,82,533,542,543,901 कुल किता 6 रकबा 6.10 बीद्या भूमि हस्तीमल पिता छोगालाल महाजन के नाम दर्ज हुई किन्तु राजस्व रेकार्ड में अंकन के वक्त त्रुटिवश उक्त आराजियात की भूमि का पुनः हस्तीमल पिता बख्तावरमल महाजन के सामलाती दर्ज हो गई जो गलत हुई हैं। कालान्तर में हस्तीमल पिता छोगालाल कर स्वर्गवास हो गया और उनके वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हैं तथा डालचन्द पिता बख्तावरमल के वारिसान केसरीमल व जीतमल पिता डालचन्द के नाम चली आ रही हैं जीतमल के स्वर्गवास हो जाने से उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 से 7 हैं तथा हीरालाल पिता बख्तावरमल के स्वर्गवास हो जाने से उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 8 से 12 हैं इसलिये प्रकरण में इन्हें पक्षकार बनाया गया हैं हाल ही में वादी ने पटवारी हल्का से नकले प्राप्त की तब जानकारी हुई की आराजी नम्बर 80,82,533,542,543,901 कुल किता 6 रकबा 6.10 बीद्या भूमि में केशरीमल, जीतमल पिता डालचन्द एवं प्यारालाल शेषमल, पुखराज, सुरेशकुमार, रतनलाल पिता हीरालाल के नाम गलत दर्ज हो गई हैं। गलत दर्ज होने की जानकारी वादी को होने पर वादी पे प्रतिवादीगण को दुरस्त करा उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कराने बाबत कहा लेकिन उन्होने इन्कार कर दिया और कहां कि आप कानुनी कार्यवाही करा भूमि अपने नाम करावें जिसपर वादी को उक्त वाद के लिये विवश होना पड़ा अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम मदारिया पटवार हल्का मदारिया तहसील देवगढ़ की आराजी नम्बर 80,82,533,542,543,901 कुल किता 6 रकबा 6.10 बीद्या भूमि हस्तीमल पिता छोगालाल, केसरीमल, जीतमल पिता डालचन्द, प्यारालाल, शेषमल, पुखराज, सुरेशकुमार, रतनलाल पिता हीरालाल महाजन के नाम हटाये जाकर केवल वादी व प्रतिवादी संख्या

नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन कराने की खातेदारी घोषणा प्रदान कराई जावें व इसी आशय की डिक्री प्रदान कराई जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को मय नकल वादपत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रत्युतर में प्रतिवादी संख्या 1,2,3,4,8,9,12 की और से वकील श्री जगदीश मेवाडा ने वकालतनामा एवं जबाब पेश किया प्रतिवादी संख्या 5,6,7,10,11 के सम्मन डाक से भेजे गये। प्रतिवादी संख्या 5,6,10,11 की डाक पावती प्राप्त हुई जो शा.क. की गई उक्त प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 5,6,10,11 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। वकील वादी ने प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते बाबत पत्रावली की प्रोसेडिग पर लिख कर निवेदन किया जिसपर प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गई। अधिवकतागण की बहस सुनी। वकील वादी ने बहस में तर्क दिया कि ग्राम मदारिया की आराजी नम्बर 80,82,533,542,543,901 कुल किता 6 रकबा 6.10 बीद्या भूमि विभाजन होने से जरिये ना.क.सं. 379 द्वारा अलग–अलग हो राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई। विभाजन से उक्त की भूमि हस्तीमल पिता छोगालाल महाजन के नाम दर्ज हुई किन्तु त्रुटिवश आराजी नम्बर 80,82,533,542,543,901 किता 6 रकबा 6.10 बीद्या भूमि पुनः हस्तीमल पिता छोगालाल, डालचन्द, हीरालाल पिता बख्तावरमल महाजन के नाम सामलाती खाते दर्ज हो गई जो गलत हुई हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराज़ीयात की 6.10 बीद्या भूमि श्री हस्तीमल पिता छोगालाल, केशरीमल, जीतमल पिता डालचन्द, प्यारालाल, शेषमल, पुखराज, सुरेशकुमार, रतनलाल पिता हीरालाल महाजन के नाम से हटाई जाकर केवल वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन कराने की घोषणा प्रदान कराई जावें तथा इसी आशय की डिक्री प्रदान कराई जावें। वकील प्रतिवादी ने बहस में तर्क दिया कि प्रतिवादीगण द्वारा पेश वादपत्र गलत हो निरस्त योग्य हैं। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में जो अंकन हैं वह सही हैं। वर्तमान रेकार्ड में डिक्री प्रकार से रहोबदल करने की आवश्यकता नहीं हैं अतः वर्तमान रेकार्ड की जो स्थिति हैं उसे यथावत रखी जावें।

हमने वादी के वादपत्र नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवकतागण की बहस पर मनन किया ग्राम मदारिया पटवार हल्का मदारिया की जमाबन्दी संख्या 2068 से 2071 में श्री केशरीमल, जीतमल पिता डालचन्द, प्यारालाल, शेषमल, पुखराज, सुरेश कुमार, रतनलाल पिता हीरालाल के नाम दर्ज हैं। उक्त आराजीयात का विभाजन होने से भूमि हस्तीमल पिता छोगालाल, डालचन्द, हीरालाल पिता बख्तावरमल महाजन के नाम दर्ज हो गई जो गलत दर्ज हुई

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम मदारिया तहसील देवगढ़ की भूमि आराजी नम्बर 80,82,533,542,543,901 कुल किता 6 रकबा 6.10 बीद्या में से हस्तीमल पिता छोगालाल, केशरीमल,जीतमल पिता डालचन्द, प्यारालाल, शेषमल, पुखराज, सुरेश कुमार, रतनलाल पिता हीरालाल महाजन के नाम हटाने (विलोपित) करने के आदेश दिये जाते हैं साथ ही उक्त आराजीयात में वादी श्री चांदमल पिता हस्तीमल महाजन एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 श्री बाबूलाल पिता हस्तीमल तथा मनोहरलाल पिता हस्तीमल महाजन निवासी मदारिया के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं तदानुसार डिक्री जारी की जावें। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें। निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द

देवगढ़,जिला-राजसमन्द